

राजस्थान सरकार  
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक -प.2(15)आयु./2005 पार्ट

जयपुर, दिनांक 20 APR 2015

आदेश

इलेक्ट्रोपैथी पद्धति को राज्य में चिकित्सा कार्य हेतु वैधानिकता प्रदान किये जाने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार-विमर्श कर औचित्यपूर्ण प्रस्तावों हेतु समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 07.04.2015 द्वारा गठित समिति निम्नानुसार पुनर्गठित की जाती है:-

1. प्रो. राधेश्याम शर्मा, कुलपति राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (अध्यक्ष)
2. श्री राजेश कोटेचा, कुलपति गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर -गुजरात (सदस्य)
3. प्रो. महेन्द्र सिंह मीणा, निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (सदस्य)।
4. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सी.सी.आई.एम., नई दिल्ली (सदस्य)।
5. श्री रामावतार शर्मा, रजिस्ट्रार, इंडिसन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर (सदस्य सचिव)।

श्री हेमन्त सेठिया, उक्त समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

समिति इलेक्ट्रोपैथी से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालय द्वारा जारी आदेशों, भारत सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन/विचाराधीन प्रस्तावों एवं पूर्व जारी आदेशों आदि समस्त तथ्यों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट एक माह में मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,

— 59 —  
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, आयुर्वेद विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. निजी सचिव, कुलपति महोदय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति महोदय, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर-गुजरात।
5. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, इंडिसन मेडिसिन बोर्ड, महावीर उद्यान के पास, बजाज नगर- जयपुर को यह भी निर्देशित किया जाता है समिति की बैठक में जलपान आदि की व्यवस्था आपके स्तर से करने का श्रम करावे।
7. वैद्य रघुनन्दन शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सी.सी.आई.एम, द्वारा - रजिस्ट्रार, इंडिसन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर।
8. श्री हेमन्त सेठिया, द्वारा - रजिस्ट्रार, इंडिसन मेडिसिन बोर्ड, जयपुर।
9. सम्बन्धित सदस्य गण/पूर्व सदस्य गण प्रो./श्री.....।

S.R.

22/04/2015

Rahul

741  
22/4/15

1636

सहायक शासन सचिव